## फर्द अहकाम

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– उंकार

विपक्षी :– मदनलाल

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि.

पत्रावली संख्या : 170/22

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|

दिनांक : 15.01.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 3 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2, 4 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया जिससे जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन विवाद होता हैं जिससे प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के बीच विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

### –: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बांसडा पटवार हल्का बांसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की खाता संख्या नया 14, पुराना खाता संख्या 154 आराजी नम्बर 1848 रकबा 0.9400 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 1849 रकबा 0.1300 हैक्टयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को एक दिन का वेतन प्रार्थी द्वारा अदा किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.22 16:31:31 IST
Reason: SelfAttested